



प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 10 जुलाई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद-कानपुर नगर की राजापुर पम्प नहर (5 क्यू० से 20 क्यू०) के पुनर्स्थापना की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-1200/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2026-27/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 11.05.2026 एवं पत्रांक-जी-244/02-56/कार्यरत लघु लिफ्ट नहरें/2026-27/नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 27.05.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-कानपुर नगर की राजापुर पम्प नहर (5 क्यू० से 20 क्यू०) के पुनर्स्थापना की परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-94 के लेखाशीर्षक-4702-101-03-0301-24 "कार्यरत लघु लिफ्ट नहरों का आधुनिकीकरण" में प्राविधानित धनराशि में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार तृतीय किशत के रूप में धनराशि ₹० 2,40,00,000/- (रूपये दो करोड़ चालीस लाख मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुदान सं०/लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं०/ दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a)/गठित अनुबंध की लागत (b)	अनुबंधित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबंध/पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत (7-9))	वित्तीय वर्ष 2026-27 में	
										अनुदान सं०/लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जनपद-कानपुरनगर की राजापुर पम्प नहर (05 क्यू० से 20 क्यू०) के पुनर्स्थापना की परियोजना (क्र०-27)	94-4702-101-03-0301-24	261.51	04/2025/3088/24-001-27-10002(002)/19/2024-10, दिनांक 21.01.2025 एवं 60/2025/825/2025-001-27-10002(002)/19/2025-10, दिनांक 26.06.2025	787.98 (a)/667.37 (b)	787.50	0.48	610.00 (400+210 एवं 100 समर्पित)	277.50	94-4702-101-03-0301-24	240.00

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध-

प्रश्नगत परियोजनाओं/मद में पूर्व में निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या-04/2025/3088/24-001-27-10002(002)/19/2024-10, दिनांक 21.01.2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 यथासंशोधित शासनादेश सं०-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,40,00,000 (रुपये दो करोड़ चालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001010301 कार्यरत लघु लिफ्ट नहरों का आधुनिकीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या-81/2026/ 1114(1)/2026-002-27-10002(002)/19/2024-10, तदु दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, लखनऊ।
- (5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, लखनऊ।
- (6) मुख्य अभियन्ता (नलकूप दक्षिण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० कानपुर।
- (7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी०एम० आई०एस० पोर्टल।
- (8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, लखनऊ।
- (9) नोडल अधिकारी/अनु सचिव, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० शासन।
- (10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु०-9/नियोजन अनु०-3
- (11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव